संख्या-04/2026/ 34 /002-53-2099-1405-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग- 2 लखनऊ : दिनांक 04-02-2026

विषयः-सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण के मद के अन्तर्गत पी0सी0डी0एफ0 में ई-आफिस प्रणाली के क्रियान्वययन एवं डेयरी प्लांट्स में ईआरपी सिस्टम स्थापना हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-423/दुग्ध-5/नियो0/अनुपूरक-मांग पत्रा0/2025-26, दिनांक 14 जनवरी, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुपूरक मांग के माध्यम से सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख के सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0 में ई-आफिस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0 149.00 लाख एवं पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित 08 डेयरी प्लांट्स (यथा-लखनऊ, मेरठ, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज, मुरादाबाद आजमगढ़ एवं झांसी) की कार्यक्षमता में सुधार के दृष्टिगत ईआरपी सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु धनराशि रू0 1.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 150.00 लाख को प्रस्तर-2 में उल्लिखित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रख जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

Sl.No	Work Description	Amount (Including Taxes)
1-	पी0सी0डी0एफ0लि0 में ई-आफिस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु।	
1.1	Scanning including Indexing and meta data entry and Uploading on e-office portal for Paper size up to A4/Legal (Per Image) and compression and conversion to searchable PDF/Per page.	Rs. 1,25,94,464.00
1.2	Web based software for Document Management System for Affiliation records, cloud Hosting and SSL Cost for 1 year.	Rs. 21,78, 304.00
1.3	Security Audit of Application through CERT-in impaneled service provider Cost for 01 year.	Rs. 1,27,232.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Total	Rs. 1,49,00,000.00
2-	पी0सी0डी0एफ0लि0 के अन्तर्गत संचालित 08 डेयरी प्लांट्स(लखनऊ, मेरठ, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज, मुरादाबाद, आजमगढ़, झांसी) की कार्यक्षमता में सुधार के दृष्टिगत ई0आर0पी0 सिस्टम की स्थापना हेतु।	Rs. 1,00,000.00
	कुल योग	Rs. 1,50,00,000.00

2-**<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-</u>**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्तावित कार्यो/मदों हेतु उक्त तालिका के कालम-2 के अनुसार अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो अपने संसाधन से वहन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु है, जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा, व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए दुग्ध आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित होता है, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा ।

(6) धनराशि का आहरण करने तथा स्वीकृत धनराशि निर्धारित प्रायोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धयशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से मशीनरी/उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुसरण करते हुए किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारी ही लेखे बही-खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परिक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मदवार निर्धारित प्रारूप पर शासन को वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020305 सूचना तकनीक एवं कम्प्युटरीकरण **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 04/2026/34(1) /002-53-2099-1405-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. प्रबन्धक निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वरिष्ठ आडिट आफीसर, (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनु0-1, नियोजन अनु०-3/राज्य योजना आयोग, उ0प्र0शासन।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रामबूझ
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।